

रामनरेश फरडोद बनाम् गणेशराम वगैरह
न् को मौजा बुगरड़ा के खेत खसरा नंबर 100 रकबा 2.6305 हैक्टेयर, खसरा नंबर 104
98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 107 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नंबर 352 रकबा 1.3597
खसरा नंबर 42 रकबा 1.9587 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, खेत
र 87 रकबा 1.1979 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 99 रकबा 1.4326 हैक्टेयर में सहखातेदार
न्या जाकर बंटवाड़ा स्कीम अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है। वादी रामनरेश
के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बुगरड़ा का खेत खसरा नंबर 48 रकबा 1.7806
रखा गया है। वादी लक्ष्मणराम फरडोदा के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बुगरड़ा का
नंबर 42 रकबा 1.9587 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 गणेशराम के
कब्जा काश्त में मौजा बुगरड़ा का खेत खसरा नंबर 100 रकबा 2.6305 हैक्टेयर पूरा, खेत
र 104 रकबा 1.1898 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 107 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खेत खसरा
रकबा 1.3597 हैक्टेयर यथावत रखे गये हैं। प्रतिवादी संख्या 2 बजरंग के हक बंट
खेत खातेदारी में मौजा बुगरड़ा का खेत खसरा नंबर 87 रकबा 1.1979 हैक्टेयर, खेत
नंबर 99 रकबा 1.4326 हैक्टेयर खेत यथावत रखे गये हैं। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम
में नगदी जेवरात व अपने ससुराल में हक बंट में खेताय आने व इन खसराओं में हक बंट
से अपना कोई हक बंट नहीं रखा है लेकिन ससुराल में जमीन बंट में आने तथा मायरा
चांदी के आभुषण एवं नगदी बंट में दिये जाने का कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली में मौजूद
। से मामला विनिमय/भूमि हस्तानान्तरण का प्रतीत होने से राजहक में नियमानुसार प्रतिवादी
व 4 का स्टाम्प शुल्क/ड्यूटी जमा करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मौजा
के खेत खसरा नंबर 100 रकबा 2.6305 हैक्टेयर, खसरा नंबर 104 रकबा 1.1898 हैक्टेयर,
नंबर 107 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नंबर 352 रकबा 1.3597 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42
1.9587 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 87 रकबा 1.1979
खेत खसरा नंबर 99 रकबा 1.4326 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन
न्/सहखातेदारों के मध्य मुताबिक वादपत्र एवं जबाबदावा/ईकवालिया जबाब राजीनामा
हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— :: आदेश :: —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान
गरी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बुगरड़ा के खेत खसरा नंबर 100 रकबा 2.
हैक्टेयर, खसरा नंबर 104 रकबा 1.1898 हैक्टेयर, खसरा नंबर 107 रकबा 1.0846 हैक्टेयर,
नंबर 352 रकबा 1.3597 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 1.9587 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48
1.7806 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 87 रकबा 1.1979 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 99 रकबा 1.
हैक्टेयर में पक्षकारान् को सहखातेदार घोषित करते हुवे विवादग्रस्त भूमि का विभाजन
रान्/सहखातेदारों के मध्य मुताबिक राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया
है।

3/1/2019
सिद्धांत कलकरी
(स.डी.ओ.) जयपुर

राजस्व वाद 96/2023
जीसीएमएस नंबर-2023/93
रामनरेश फरडोद वनाम् गणेशराम वगैरह
वादी रामनरेश फरडोदा के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बुगरड़ा का खेत खसरा नंबर 48
रकबा 1.7806 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

वादी लक्ष्मणराम फरडोदा के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बुगरड़ा का खेत खसरा नंबर
42 रकबा 1.9587 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।


प्रतिवादी संख्या 1 गणेशराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बुगरड़ा का खेत खसरा नंबर
100 रकबा 2.6305 हैक्टेयर पूरा, खेत खसरा नंबर 104 रकबा 1.1898 हैक्टेयर, खेत खसरा
नंबर 107 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 352 रकबा 1.3597 हैक्टेयर यथावत रखे
गये है।

प्रतिवादी संख्या 2 वजरंग के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा बुगरड़ा का खेत
खसरा नंबर 87 रकबा 1.1979 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 99 रकबा 1.4326 हैक्टेयर खेत
यथावत रखे गये हैं।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम कोई हक बंट नहीं रखा गया है जिससे मामला
विनिमय/भूमि हस्तानान्तरण का प्रतीत होने से राजहक में नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 3 व 4
का स्टाम्प शुल्क/ड्यूटी जमा कश्वाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

बैंक के रहन खसरा नंबर के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 26.7.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से
जारी कर सरे इजलारा सुनाया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)